हरियाणा में पंचायत-राज

Y 1196

हरियाणा में पंचायत-राज

फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङ्ग

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

1996

प्रकाशक–फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

चित्रांकन–प्रवीन जी.एस

परिकल्पना–उमा प्रशिक्षण समूह

टाईपसैटिंग–तुलिका प्रिंट कम्यूनिकेशन सर्विसेस, ३५ ए/१, खेल गांव के पास, शाहपुर जाट, नई दिल्ली ११० ०४९

मुद्रक–पॉल्स प्रेस, ई ४४/११, ओखला फेज़ २, नई दिल्ली ११० ०२०

प्रस्तावना

प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, जनता का नीति-निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया में प्रभावकारी योगदान फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग के दो प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। क्षेत्रिय शासनवर्ग संस्थाओं को दृढ़ करके उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करना ही एक स्वस्थ शासन का गुणन-खंड है।

अप्रेल १९९२ में लागू किए गए ७३ व ७४ वां संविधान संशोधन एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके फलस्वरूप महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ। इसके कारण महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में समावेश निश्चित हुआ। किन्तु इससे भी सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में युग-युगान्तर से प्रचलित नियमों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इस परिवर्तन को लाने के लिए नए सहायक कार्यक्रमों और सलाहकारी सेवाओं की आवश्यकता है। अत: क्षेत्रीय समितियों को मज़बूत बनाने के लिए मानवीय साधन व आर्थिक बल की आवश्यकता है।

वर्ष १९९५ में फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग के सहयोग से हरियाणा सोशल वर्क एवं रिसर्च सेंटर (खोरी सेन्टर) ने हरियाणा के चार ज़िलों की महिला प्रतिनिधियों को जागरूक कर, कुछ अनोखे, मार्ग दर्शाने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था की। अपने अनुभवों के आधार पर खोरी सेन्टर ने १९९६ में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशिक्षकों के समुह तैयार करने की योजना बनाई है। यह प्रशिक्षक अधिक से अधिक महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज में भूमिका की विशेष जानकारी के साथ-साथ विकासात्मक योजनाओं की जानकारी भी दे पायेंगे। नवम्बर १९९६ में खोरी सेन्टर और फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में सरकारी व स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिभागियों ने, जो कि पंचायती राज में विशेष रुचि रखते हैं और इसी विषय पर प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। यह बात उभर कर आई कि प्रशिक्षण क्षेत्रीय भाषा में होने चाहिए तथा प्रशिक्षक को कौशल-युक्त होना चाहिए। यह भी कि हिन्दी भाषा में बहुत कम प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध है।

इंस्टिट्यूट आफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट ने सामग्री कर्नाटक पंचायती राज की महिला प्रतिनिधियों के लिए पिछले कुछ वर्षो के अनुभव के आधार पर एक अनूठी क्रमिक प्रशिक्षण तैयार की है। इस सामग्री को हिन्दी में अनुवाद करवा कर और हरियाणा संविधान के अनुरूप बना कर प्रचलित करने का बीड़ा फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग ने उठाया है। प्रस्तुत पुस्तिका भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आशा है कि यह पुस्तिका उन सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जो महिलाओं को पंचायती राज में उनकी भूमिका की विशेष जानकारी देने में सहयोगी हैं ताकि वे सही प्रतिनिधित्व का पालन कर सकें, निर्णय प्रक्रिया में ठोस भाग ले सकें और राजनीति में अपना स्थान बना सकें।

फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग, सामाजिक प्रजातन्त्र मूल्यों पर आधारित एक अनुसंधानात्मक शैक्षिक संस्था है। इसकी विस्तृत गतिविधियों के अन्तर्गत विकासशील राष्ट्र के सहकर्मियों के लिए शिक्षा एंव योगदान के क्षेत्र के अन्य कार्यकलापों के अलावा सामाजिक विकास के क्षेत्र में व्यापक आयोजना, श्रमिक-मालिक सम्बन्ध, व्यापार एवं सांस्कृतिक क्षेत्र सम्बन्धित हैं।

फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग विश्व के लगभग सौ देशों में विभिन्न सामाजिक विकास की गतिविधियों से जुड़ा है। वह नित ऐसे लेख व पुस्तकें प्रकाशित करता है जो कुछ खास मुद्दों को लेकर विवाद व तर्क छेड़ दे जिस का सम्बन्ध भारत के विकास प्रणाली से हो और इस तरह यह संस्थान एक महत्वपूर्ण योगदान की चेष्टा करता है। इस प्रकाशन में जिन विचार-विमर्शों की व्याख्या की गई है वह निश्चय ही फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग की भी हों, ऐसा मान्य नहीं।

फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग
नई दिल्ली
जून १९९६

लुईज़ा रूरुप

आभार

सन् १९६४ से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट महिलाओं के बीच काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाना है। अपने इस उद्देश्य को पाने के लिए यह विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से इस दिशा में काम कर रही है।

इसी कड़ी में हमारी बैंगलोर शाखा ने राजनीति में महिलाओं को गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया है। मई १९९३ में बैंगलोर शाखा में "उमा" नामक एक संपर्क केंद्र की शुरूआत हुई। "उमा" का पूरा नाम है–उत्साही महिला अभ्युदय।

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और नव-निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण "उमा" संपर्क केंद्र का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान "उमा" केंद्र ने कुछ संदर्भ पुस्तिकाएं तैयार की हैं। महिला प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क और बातचीत से बार-बार यह लगा कि इस विषय में कुछ पाठ्य सामग्री तैयार होनी चाहिए। इसी से उमा संपर्क केंद्र को संदर्भ पुस्तिकाएं बनाने की प्रेरणा मिली। कर्नाटक में कार्यरत उमा संपर्क केंद्र ने कुछ सामग्री अंग्रेजी और कुछ कन्नड़ में तैयार की है। यह सारा काम फोर्ड फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से संभव हो सका।

देश के हिंदी भाषी क्षेत्र की महिलाएं भी इस सामग्री का लाभ उठा सकें, इसीलिए अब इसमें से चुनी हुई सामग्री का हिंदी में भी रूपांतर किया गया है। इस काम को हमारी सहयोगी मंजुश्री मिश्र, दिल्ली, मनिमाकलाई राजा और डॉ. एस.एस. मडविलार, आई.एस.एस.टी., बैंगलोर के सहयोग से पूरा किया गया है।

फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटुङग, खासकर लुईज़ा रूरुप और नित्या राव के हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने इस काम के लिए आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि इस सामग्री को प्रकाशित करके हमारे काम को फैलाने में भी मदद दी है।

इंडिया हैबिटेट सेंटर, अपर ग्राउंड फ्लोर, ज़ोन-६
लोधी रोड, नई दिल्ली ११० ००३

स्वप्ना मुखोपाध्याय
निदेशिका, आई.एस.एस.टी.

जून १९९६

भूमिका

ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है ग्रामीण समुदाय का सक्रिय योगदान। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण विकास में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही गांव की विभिन्न समस्याओं का भी समाधान होगा। पंचायती राज में अपनेपन की भावना है, इसकी जड़ें देश की माटी में और लोगों की अपनी सरकार में हैं।

बेहतर प्रशासन के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को कानूनी रूप देकर और सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। हरियाणा पंचायती राज विधेयक, १९९४ लागू करके हरियाणा ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की है। विभिन्न स्तरों पर होते हुए भी ये तीनों एक-दूसरे के कामों के पूरक होंगे और ये राज्य के विकास में प्रशासनिक ढांचे को एक सार्थक दिशा देंगे।

ग्राम पंचायत की नव-निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी समझने की दृष्टि से यह सचित्र पुस्तिका बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, बैंगलोर के "उमा" प्रशिक्षण समूह ने कर्नाटक राज्य के ऐसे ही विधेयक को नवसाक्षर महिला प्रतिनिधियों के लिए कन्नड़ में प्रस्तुत किया था। इसी को आधार बना कर आई.एस.एस. टी., दिल्ली ने हरियाणा के संदर्भ में इसका यह हिंदी रूपांतर किया है।

विषय सूची

		पृष्ठ क्र.
१.	पंचायत राज व्यवस्था	२
२.	ग्राम सभा	४
३.	ग्राम पंचायत	८
४.	सरपंच और उप-सरपंच के कर्तव्य और उत्तरदायित्व	१९
५.	ग्राम पंचायत के कार्य	२०
६.	उप-समितियां	३०
७.	ग्राम पंचायत कोष	३२
८.	ग्राम पंचायत के कर्मचारी	३४
९.	ग्राम पंचायत का विघटन और पुनर्गठन	३६

पंचायत राज व्यवस्था

हरियाणा पंचायती राज बिधेयक १९९४, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा करता है।

- ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत
- विकास खंड/तहसील स्तर पर पंचायत समिति
- जिला स्तर पर जिला परिषद्

जि ला परिषद

पंचायत समिति

ग्राम पंचायत

गाँव

गाँव

ग्राम सभा

संविधान

ग्रामीण स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति ही ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं।

ग्राम सभा बैठक

- ❑ सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं और उसे संचालित कर सकते हैं।
- ❑ ग्राम पंचायत द्वारा निश्चित की गई तिथियों में वर्ष में दो बार ग्राम सभा बैठक करना जरूरी है। पहली बैठक का समय है–एक मई से तीस जून। इसे हाड़ी बैठक कहा गया है। दूसरी बैठक का समय है–एक नवंबर से इक्तीस दिसंबर। इसे सावनी नाम दिया गया है।
- ❑ लगातार दो बैठक नहीं करने पर सरपंच अपने पद से अपने आप हटा दिए जाएंगे। पद समाप्ति की तिथि से एक माह के भीतर सरपंच द्वारा उचित कारण बताए जाने पर निदेशक उनके पद को फिर से बहाल कर सकता है।
- ❑ सरपंच की गैरहाजिरी में उप-सरपंच पदभार संभाल सकते हैं।
- ❑ कुल सदस्य संख्या के पांचवें हिस्से की लिखित मांग आने पर सरपंच विशेष बैठक बुला सकते हैं। विशेष बैठक की स्वीकृति मिलने पर तीस दिन के भीतर बैठक करना जरूरी है।
- ❑ विशेष बैठक करने में सरपंच असमर्थ रहें, तो विकास खंड और पंचायत अधिकारी के द्वारा यह बैठक कराई जाएगी।

ग्राम सभा के लिए कोरम

ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा कोरम माना जाएगा। इसकी पूर्ति न होने पर बैठक स्थगित होगी और तब सदस्य संख्या के बीसवें हिस्से से कोरम पूरा माना जाएगा।

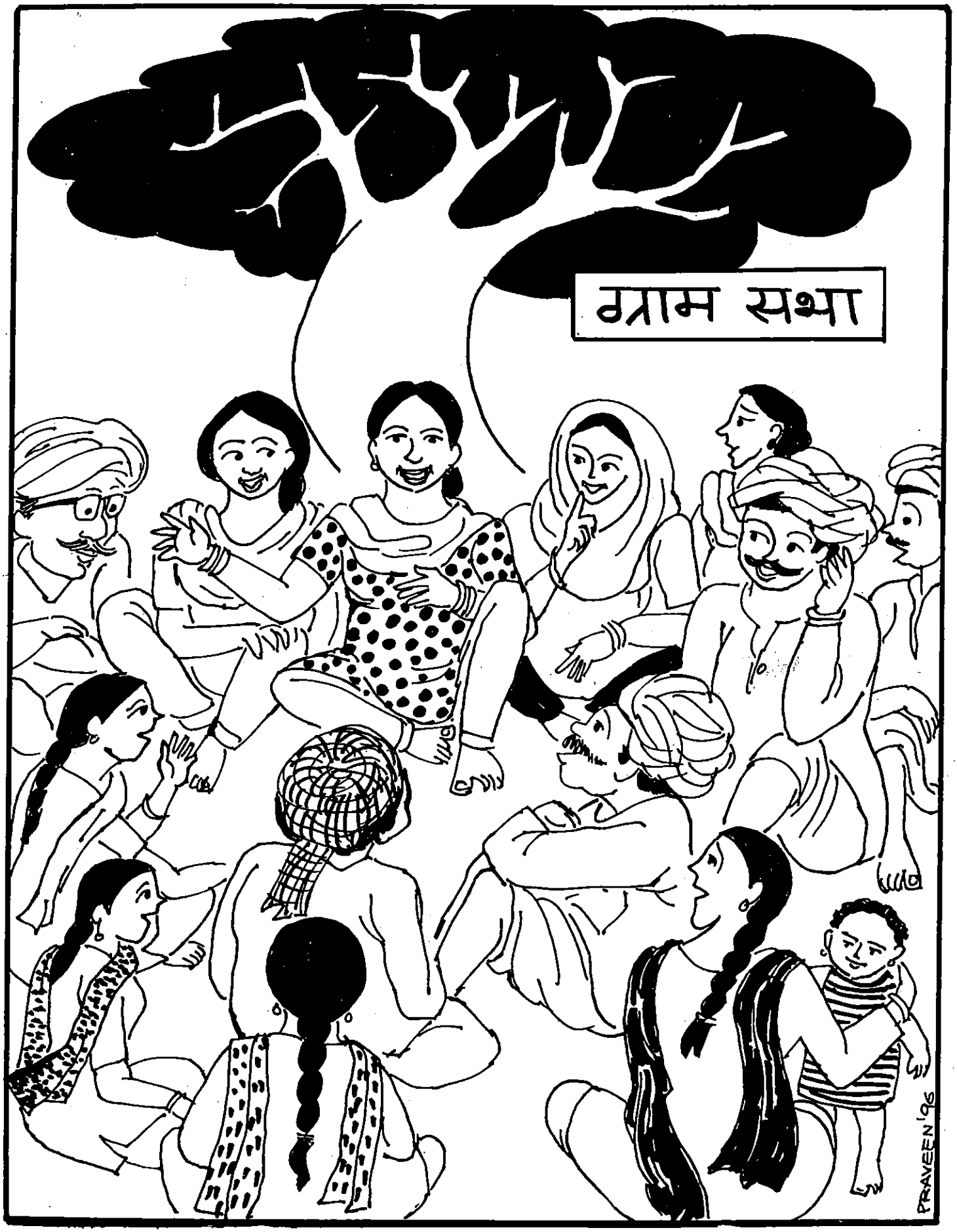
ग्राम सभा
PRAVEEN '96

ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी है:

- ग्राम सचिव, विकास खंड और पंचायत अधिकारी
- यदि किसी कारण से विकास खंड और पंचायत अधिकारी बैठक में नहीं आ पाएं, तब इन्हीं के द्वारा नियुक्त सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी या विकास खंड प्रसार अधिकारी
- ग्राम सभा को अपनी बैठक में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों को भी बुलाना चाहिए और बैठक में उभरे मुद्दों पर अपनी सलाह देनी चाहिए।

ग्राम सभा के कार्य

ग्राम सभा के निम्नलिखित काम हैं:

- ग्राम सभा अपनी सावनी बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा सभा क्षेत्र के लिए तैयार किए गए बजट और भावी विकास कार्यक्रम और योजनाओं पर विचार करेगी।
- हाड़ी बैठक में विकास योजनाओं की सामान्य प्रगति की समीक्षा करेगी।
- पिछले वित्तीय वर्ष में पंचायत की वास्तविक आय और व्यय पर विचार करेगी।
- ग्राम पंचायत की वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों पर विचार करेगी और जांच-पड़ताल करेगी।
- ग्राम पंचायत के सभी कार्यक्रमों और पूरे हो चुके कामों की समीक्षा करेगी।
- ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, आय-व्यय और अन्य मामलों में सरपंचों और पंचों से प्रश्न पूछ सकती है, और स्पष्टीकरण मांग सकती है।
- अन्य विकास कार्यों और योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करेगी।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उसके अनुपालन पर विचार करेगी।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करेगी।

सेवा
रिपोर्ट
टिप्पणी
ग्राम सभा

ग्राम पंचायत

संविधान

सरपंच, उप-सरपंच और पंचायत के आकार के आधार पर छः से बीस पंच से मिल कर ग्राम पंचायत बनती है।

ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए योग्यता

- ❑ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।
- ❑ उनकी आयु इक्कीस वर्ष से कम न हो।
- ❑ उनका मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है।

ग्राम पंचायत सदस्यता

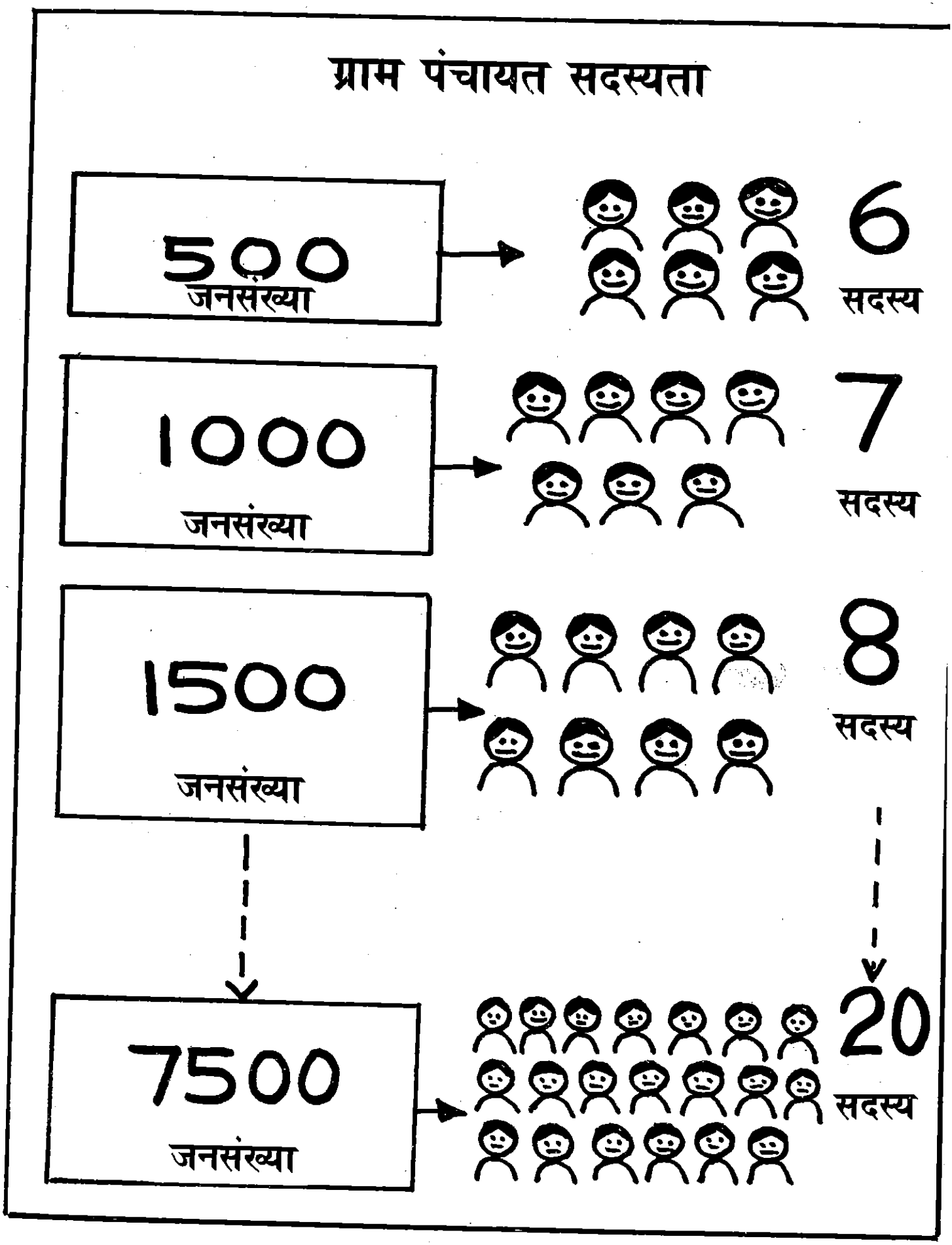

चुनाव

- ग्राम सभा सदस्यों के गुप्त मतपत्रों से सरपंच का चुनाव किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत की पहली बैठक में पंचों के द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाएगा। पंचों में से ही उप-सरपंच की नियुक्ति होगी।
- पंच अपने निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव जीत कर आएंगे।

चुनाव

सीधा चुनाव

जिला परिषद्

पंचायत समिति

ग्राम पंचायत

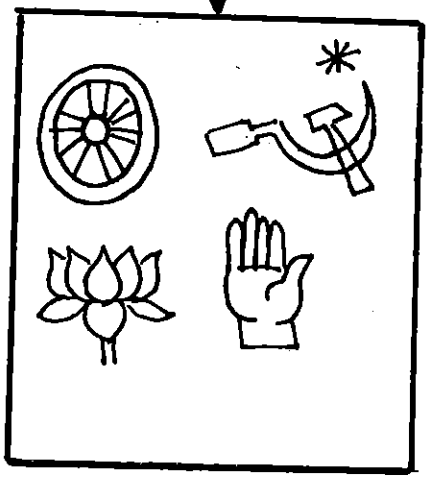

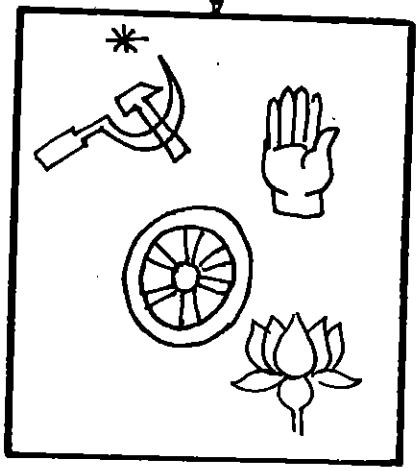

निर्दलीय

आरक्षण

- ग्राम पंचायत में कुल पद संख्या में से उतने ही अनुपात में पद अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए होंगे, जितने उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में उनका अंश है।

- इन आरक्षित पदों में से भी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल पदों का एक तिहाई हिस्सा आरक्षित होगा।

आरक्षण

अनुसूचित जाति

अन्य

सदस्यता की समाप्ति

सरपंच, उप-सरपंच या पंच में से किसी को भी निम्नलिखित परिस्थितियों में निदेशक या उप-आयुक्त पद से हटा सकते हैं:

- ❑ सरपंच, उप-सरपंच, पंच पर किसी आपराधिक मामले में जांच चल रही हो।
- ❑ चुनाव के बाद उनका कोई अपराध साबित हो जाने और ६ माह से अधिक कारावास की स्थिति में।
- ❑ यदि सरपंच, उप-सरपंच, पंच ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थित रहते हों।
- ❑ यदि सरपंच, उप-सरपंच, पंच अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन न करने के अपराधी हों और जनता की भलाई की दृष्टि से इनको उस पद पर बनाए रखना अनुचित हो।
- ❑ यदि निदेशक को ये अपना त्यागपत्र देते हैं।
- ❑ दो तिहाई पंचों की मांग पर बुलाई गई ग्राम सभा बैठक में, ग्राम सभा सदस्य के दो तिहाई मतदान से सरपंच को हटाया जा सकता है। ऐसी बैठक में कम से कम पचास प्रतिशत ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति जरूरी रहेगी।
- ❑ दो तिहाई पंचों के आवेदन पर बुलाई गई ग्राम सभा बैठक में ग्राम सभा सदस्य के दो तिहाई मतदान से उप-सरपंच को हटाया जा सकता है। ऐसी बैठक में कम से कम पचास प्रतिशत ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी।
- ❑ ऐसी बैठक के लिए आवेदन आने पर एक माह के अंदर बैठक करना जरूरी है और ऐसी बैठक में ऊपर वर्णित मतदान गुप्त होगा।

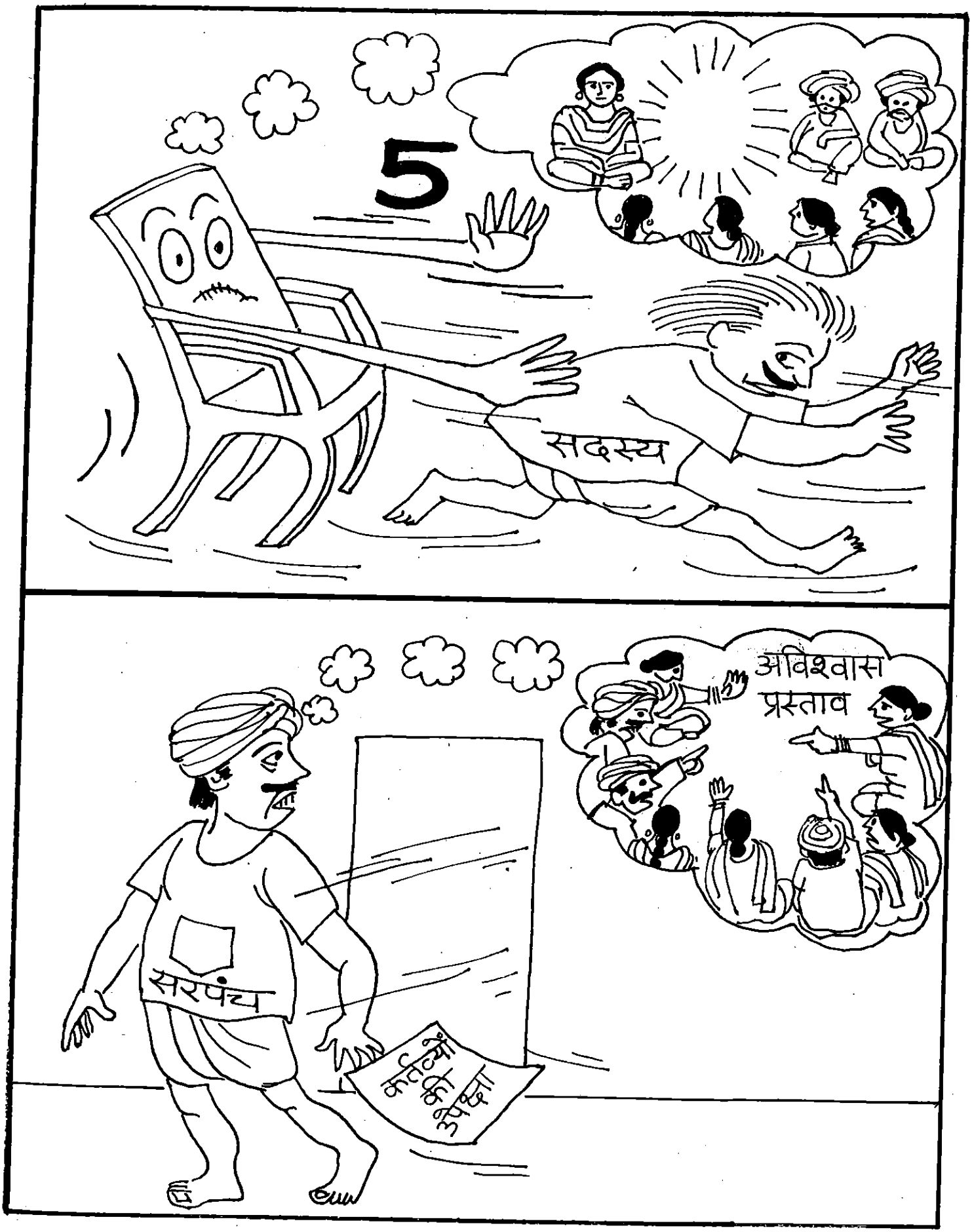

5
सदस्य

अविश्वास प्रस्ताव
सरपंच
कर्तव्यों की उपेक्षा

ग्राम पंचायत बैठक

- ❑ किसी भी सार्वजनिक स्थान में कम से कम माह में दो बार ग्राम पंचायत की बैठक की जाए।
- ❑ सरपंच की अनुपस्थिति में इस बैठक की जिम्मेदारी उप-सरपंच या ग्राम सचिव की होगी।
- ❑ अधिकांश पंच लिखित रूप में यदि सरपंच से बैठक करने के लिए आवेदन करते हैं और सरपंच तीन दिन के भीतर बैठक करने में असमर्थ रहता है, तब उप-सरपंच या पंच को बैठक करने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सरपंच, उप-सरपंच और अन्य पंचों को एक सप्ताह का नोटिस देना होगा।

ग्राम पंचायत सभा

कोरम और प्रक्रिया

- ❑ सरपंच समेत पंचों के बहुमत से कोरम पूरा माना जाएगा।
- ❑ कोरम पूरा नहीं होने पर, अध्यक्ष एक घंटे तक अन्य सदस्यों की प्रतीक्षा करेंगे। इसके बाद भी यदि कोरम पूरा नहीं होता तो अगले दिन या अन्य किसी दिन के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी।
- ❑ स्थगित बैठक का कोरम सरपंच और पंचों को मिलाकर तैंतीस प्रतिशत होगा।

सरपंच और उप-सरपंच के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

सरपंच के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना।
- ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करना।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के कामों का निरीक्षण।
- साधारण या विशेष प्रस्ताव द्वारा विधेयक के अनुसार कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना।

उप-सरपंच के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता और संचालन करना।
- सरपंच द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना।

सरपंच, उप-सरपंच या पंच की जवाबदेही

- ग्राम पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच या पंच में से किसी की भी असावधानी से ग्रामीण संपत्ति या ग्राम कोष को कोई नुकसान होता है, तो वे उसके जिम्मेदार होंगे।
- विकास खंड और पंचायत अधिकारी सरपंच, उप-सरपंच या पंच को इस नुकसान का कारण समझाने का अवसर देगा। इस नुकसान का मूल्यांकन करके उसकी भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- ऐसे नुकसान की भरपाई सरपंच, उप-सरपंच या पंच ६ वर्ष के भीतर या पद मुक्त होने के बाद २ वर्ष की अवधि में पूरा करेगा।
- सरपंच, उप-सरपंच या पंच की मृत्यु हो जाने पर उनका कानूनी वारिस इस नुकसान का देनदार होगा।

ग्राम पंचायत के कार्य

सभा क्षेत्र में निर्धारित और स्वीकृत बजट में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना। इसमें निर्माण कार्य और उससे संबंधित अन्य काम भी शामिल हैं।

सामान्य कार्य

- ग्राम सभा की बैठक में किए गए हर प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत विचार करेगी। इन पर लिए गए निर्णय और कार्यवाही ग्राम पंचायत की आगामी वर्ष की रिपोर्ट का हिस्सा होगी।
- पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना।
- ग्राम सभा की सावनी बैठक में वार्षिक बजट पर विचार करने के लिए बजट प्रस्तुत करना।
- प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करना।
- सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाना।
- स्वयंसेवा और श्रमदान द्वारा सामुदायिक कार्य करना।
- आवश्यक ग्रामीण आंकड़ों की जानकारी रखना।

ग्रामीण आवास

- अपने अधिकार क्षेत्र में जमीन का वितरण।
- भवनों, गैर-सरकारी और सार्वजनिक स्थानों से संबंधित दस्तावेजों की सुरक्षा करना।

पीने का पानी

- कुआं, टैंक और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और सुरक्षा करना।
- पानी को प्रदूषित होने से बचाना।
- ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की सुरक्षा करना।

PraveenGS'96

कृषि और कृषि विस्तार

- ❑ खेती और बागवानी को प्रोत्साहन और विकास।
- ❑ बंजर भूमि का विकास।
- ❑ गोचर का विकास, सुरक्षा और अनधिकृत कब्जे से गोचर भूमि को बचाना।

पशु पालन, डेरी और मुर्गी पालन

- ❑ सभी तरह के पशुधन का नस्ल सुधार।
- ❑ डेरी उद्योग, मुर्गी और सुअर पालन को प्रोत्साहन देना।
- ❑ चरागाह का विकास करना।

मछली पालन

- ❑ गांव में मछली पालन।

सामाजिक और कृषि वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन-चारा

- ❑ इसके अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक जमीन और सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा।
- ❑ जलाऊ लकड़ी और चारा देने वाले वृक्षों का रोपण।
- ❑ कृषि वानिकी को प्रोत्साहन।
- ❑ सामाजिक वानिकी का विकास।

खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग

- ❑ ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
- ❑ ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शिविर, सम्मलेन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेती और उद्योगों से संबंधित प्रदर्शनियों का आयोजन।

ग्राम पंचायत के काम

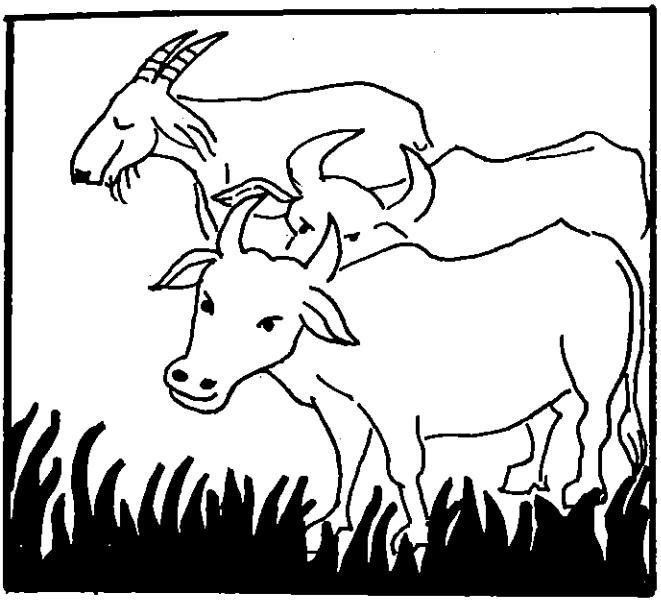

पशु पालन

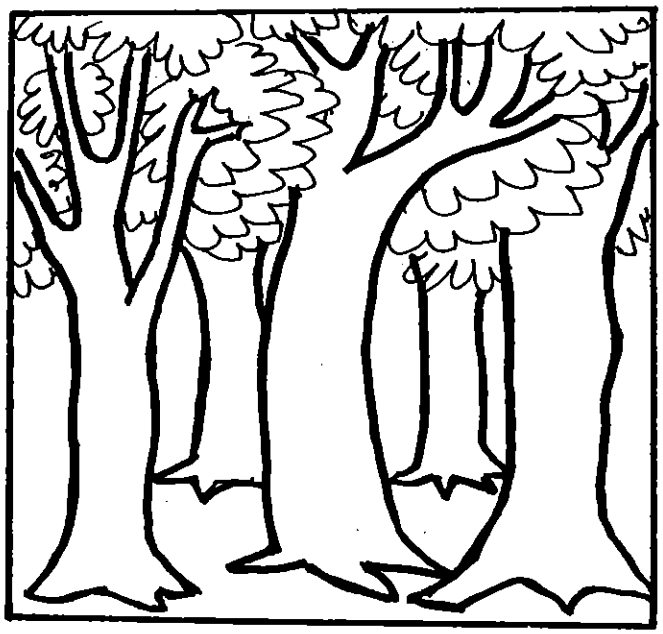

सामाजिक वन विकास

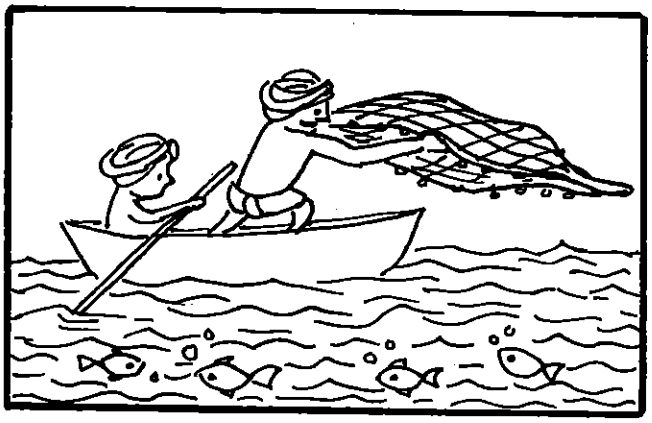

मछली पालन

कृषि विकास

खादी, कुटीर उद्योग विकास

जलमार्ग निर्माण

- ❑ इसके अंतर्गत सरकारी या अन्य सार्वजनिक विभागों द्वारा घाटों, जलमार्गों, नावों आदि की मरम्मत करना।
- ❑ सार्वजनिक स्थानों, गलियों में बिजली का वितरण और व्यवस्था करना।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत

- ❑ गैर-पारंपरिक ऊर्जा योजनाओं का विकास और बढ़ावा देना।
- ❑ बायो गैस, पवन चक्की जैसे गैर-पारंपरिक सामुदायिक ऊर्जा साधनों का रख-रखाव।
- ❑ विकसित चूल्हों और अन्य साधनों का प्रचार।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

- ❑ रोजगार के लिए उत्पादक गतिविधियों, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे कार्यक्रमों में जनचेतना और भागीदारी को बढ़ावा।
- ❑ सभी ग्रामसभाओं के विभिन्न कार्यक्रमों में लाभार्थियों का चयन।
- ❑ योजनाओं का सही क्रियान्वयन और देखरेख।

ग्रामीण साफ-सफाई

- ❑ सामान्य साफ-सफाई की व्यवस्था।
- ❑ सड़क, नालियां, टैंक और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई।
- ❑ शमशान घाट और कब्रिस्तान का रख-रखाव और प्रबंध करना।
- ❑ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रख-रखाव।
- ❑ लावारिस लाशों का संस्कार और मृत पशुओं को ठिकाने लगाने का प्रबंध करना।
- ❑ धोबी घाट और स्नान घाटों का रख-रखाव और सुरक्षा।

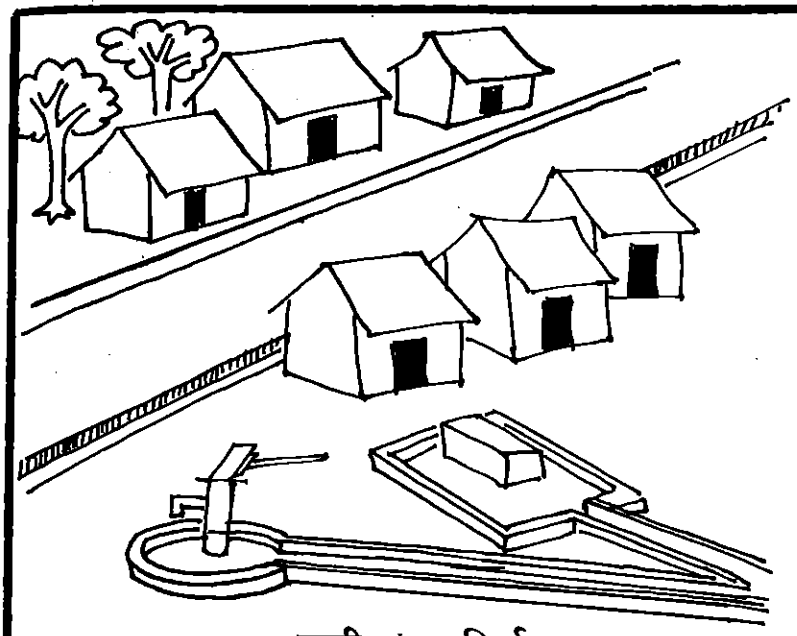

ग्रामीण गृह निर्माण

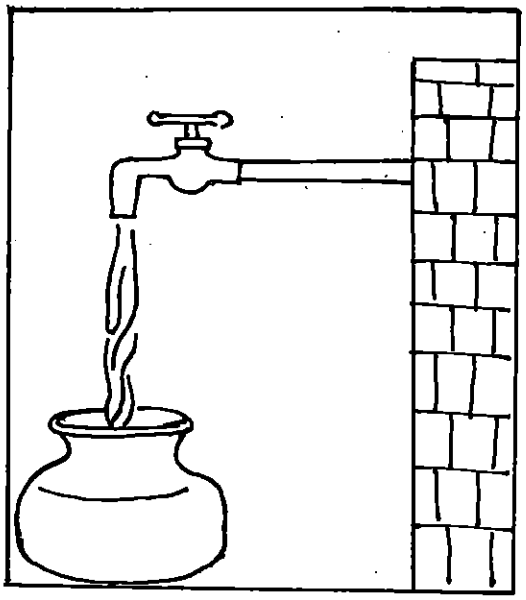

पीने का पानी

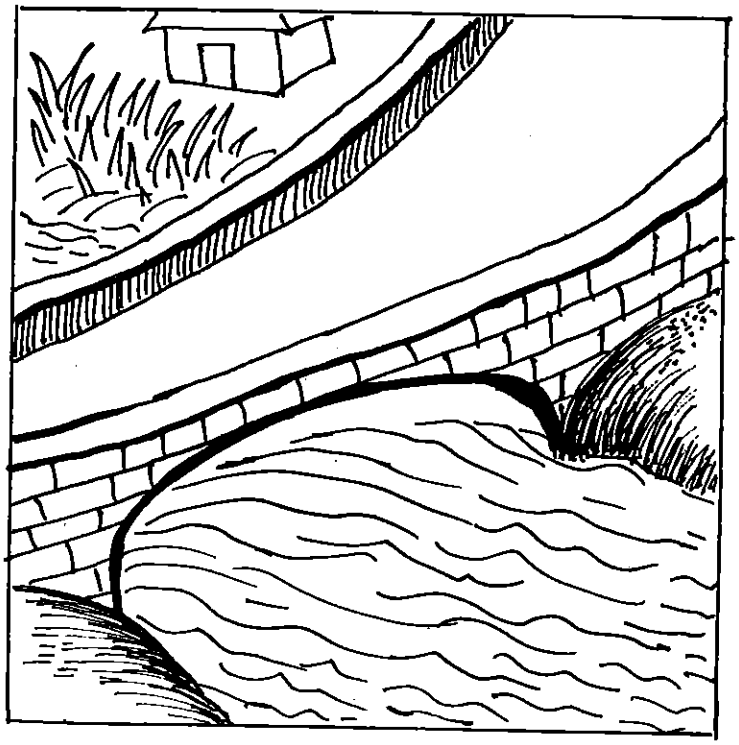

सड़क, इमारत, बाँध, नहर निर्माण

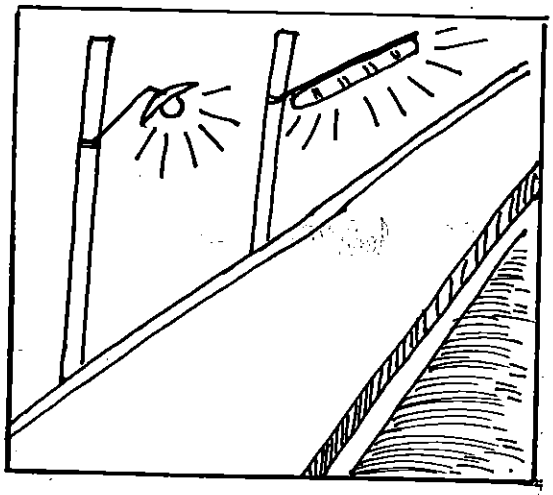

ग्रामीण विद्युतीकरण

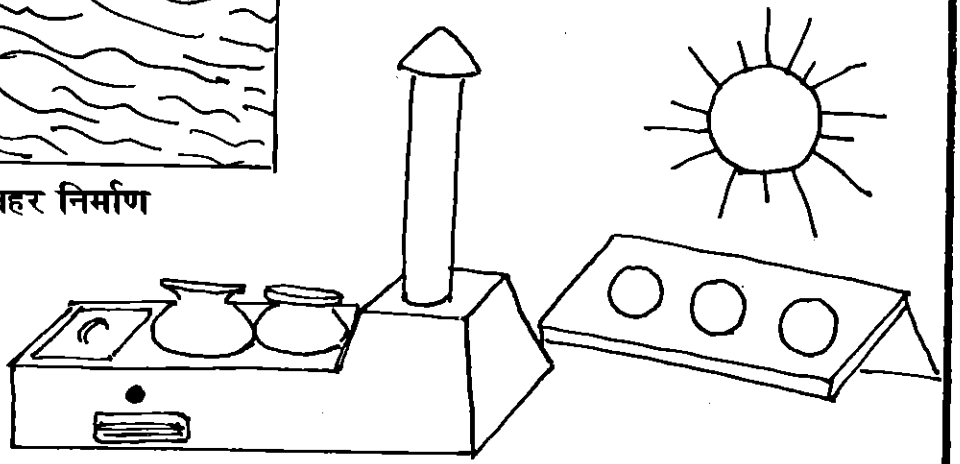

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत

सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

- ❑ परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- ❑ महामारियों की रोकथाम और उपचार।
- ❑ मांस, मछली और अन्य मांसाहारी वस्तुओं के विक्रय के लिए कानून।
- ❑ मानव और पशु टीकाकरण कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
- ❑ खाद्य वस्तुओं की बिक्री तथा मनोरंजन पर लायसेंस जारी करना।
- ❑ आवारा कुत्तों को नष्ट करना।
- ❑ चर्मशोधन और रंगाई के लिए कानून।
- ❑ आपत्तिजनक और खतरनाक धंधों पर प्रतिबंध के लिए कानून।

महिला और बाल विकास

- ❑ महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भागीदारी।
- ❑ शिशु स्वास्थ्य और आहार कार्यक्रम को बढ़ावा।

समाज कल्याण

- ❑ समाज कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और विकलांग, मंदबुद्धि, निराश्रितों के कल्याण की योजनाओं में शामिल होना।
- ❑ वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं की निगरानी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- ❑ आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में जनचेतना को बढ़ावा देना।
- ❑ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निगरानी करना।

पुस्तकालय

प्रौढ़ शिक्षा

जन स्वास्थ्य/परिवार नियोजन

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

कमजोर वर्गों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों का कल्याण

- ❑ अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में सार्वजनिक चेतना को बढ़ावा देना।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

- ❑ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जनचेतना।
- ❑ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश, उपस्थिति और विद्यालयों का उचित प्रबंध करना।
- ❑ प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- ❑ ग्रामीण पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था करना।
- ❑ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

हाट और उत्सव

- ❑ पशु मेले और धार्मिक मेलों को छोड़ कर अन्य मेलों और उत्सवों की व्यवस्था।

सामुदायिक संपत्ति की सुरक्षा

- ❑ धर्मशालाओं तथा वैसी ही अन्य संस्थाओं का निर्माण और सुरक्षा।
- ❑ गौशाला, तालाब, बैलगाड़ी, छकड़ा स्टैंड का निर्माण और रख-रखाव।
- ❑ बूचड़खानों का निर्माण और रख-रखाव।
- ❑ सार्वजनिक स्थानों में खाद के गड्ढों पर नियंत्रण।
- ❑ सरकार तथा अन्य स्थानीय विभागों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

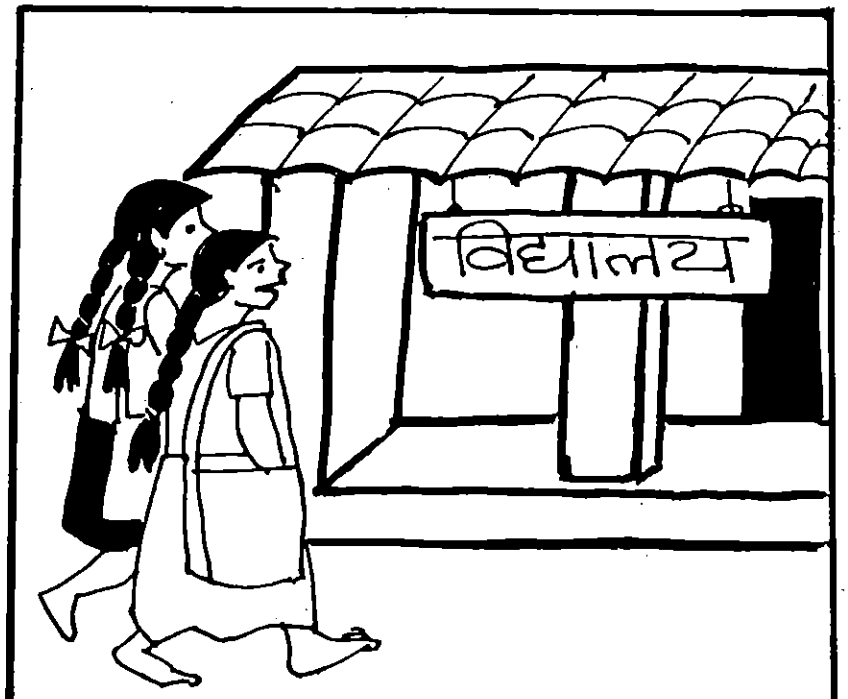

विद्यालय

बाज़ार, मेला को बढ़ावा देना

उप-समितियां

प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित उप-समितियां गठित करेगी:

उत्पादन उप-समिति

- ❑ कृषि उपज, पशुपालन, ग्रामोद्योग, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए।

सामाजिक न्याय उप-समिति

- ❑ अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य हितों को प्रोत्साहन देने के लिए।
- ❑ पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने और शोषण से सुरक्षा देने के लिए।
- ❑ महिला और बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए।

सुख-सुविधा उप-समिति

- ❑ शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्यों तथा अन्य कार्यों को चलाने हेतु।

स्थानीय समिति

- ❑ यदि ग्राम पंचायत एक से अधिक गांवों से गठित है तो पंचों और ग्राम सभा के सदस्यों से नियुक्त स्थानीय समिति होगी।
- ❑ ग्राम पंचायत द्वारा गठित अन्य समिति।

उप-समितियों की सदस्यता

- ❑ सरपंच या उप-सरपंच के अलावा प्रत्येक उप-समिति और स्थानीय समिति में पांच सदस्य होंगे।
- ❑ सरपंच उत्पादन समिति और सुख-सुविधा समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।
- ❑ उप-सरपंच सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।
- ❑ सामाजिक न्याय समिति में कम से कम एक महिला सदस्या और अनुसूचित जाति से एक सदस्या होना जरूरी है।
- ❑ प्रत्येक समिति को किसान क्लब, महिला मंडल, युवक मंडल आदि के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- ❑ पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सहकारी समिति के एक प्रतिनिधि को उत्पादन समिति में नियुक्त किया जाएगा।

स्थायी समिति

उत्पादन समिति

सामाजिक न्यायं समिति

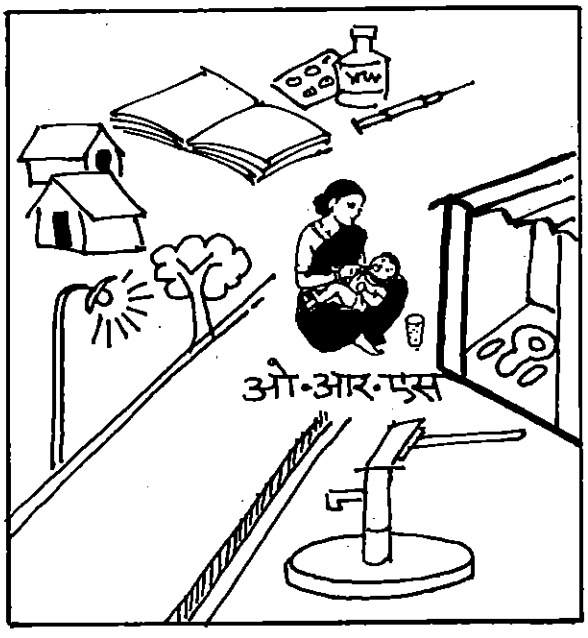

जन सुविधा समिति

ग्राम पंचायत कोष

प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कोष होगा, जिसका उपयोग ग्राम पंचायत की योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने में होगा।

ग्राम पंचायत कोष के स्रोत

- ❑ इस विधेयक के पारित होने पर कोई राशि शेष है, तो वह ग्राम पंचायत में जमा होगी।
- ❑ सरकारी अनुदान।
- ❑ गांव के सभा क्षेत्र में सामान्य उपयोग, धर्मनिरपेक्ष कार्यों के लिए इकट्ठे किए धन की बकाया राशि।
- ❑ सभी तरह के दान।
- ❑ ग्राम पंचायत द्वारा वसूल किए गए सभी तरह के कर, शुल्क, जुर्माना आदि।
- ❑ कूड़ा-करकट, गोबर, लावारिस मृत पशुओं की बिक्री से हुई आमदनी।
- ❑ मछली पालन से हुई आमदनी।
- ❑ ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि से हुई आमदनी।

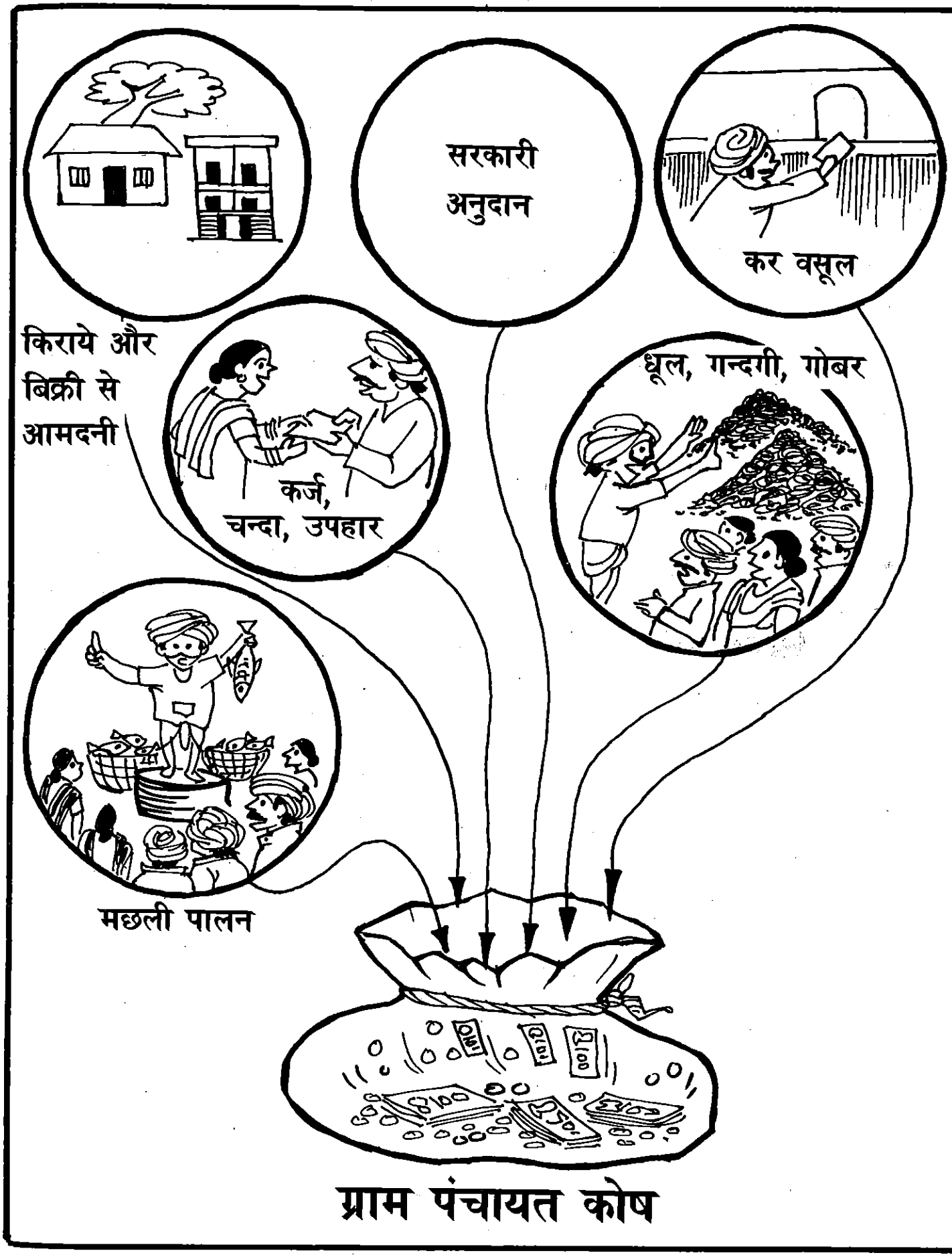
सरकारी
अनुदान
कर वसूल
किराये और
बिक्री से
आमदनी
कर्ज,
चन्दा, उपहार
धूल, गन्दगी, गोबर
मछली पालन
ग्राम पंचायत कोष

ग्राम पंचायत के कर्मचारी

ग्राम सचिव

प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त एक ग्राम सचिव होगा।

अन्य कर्मचारी

पंचायत समिति की पूर्व स्वीकृति पर ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।

इन कर्मचारियों को ग्राम पंचायत कोष से पारिश्रमिक, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी दी जाएगी।

ग्राम सचिव के कार्य

- ❑ सरपंच के निरीक्षण में दस्तावेजों और हिसाब-किताब को ठीक और तैयार रखना।
- ❑ ग्राम पंचायत के कर्तव्यों और कार्यक्रम के संचालन में सहायता करना।
- ❑ ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन में सहायता देना।

सरपंच की देखरेख में

- ❑ बैठक की कार्यवाही को विवरण पुस्तिका में लिखकर हस्ताक्षर करना।
- ❑ ऑडिट रिपोर्ट की टिप्पणी के उत्तर एक माह के अंदर तैयार कर, उस पर ग्राम सभा की स्वीकृति लेकर विकास खंड और पंचायत अधिकारी को भेजना।
- ❑ कैश बुक की शेष राशि पर प्रतिदिन हस्ताक्षर करना।

ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं के काम

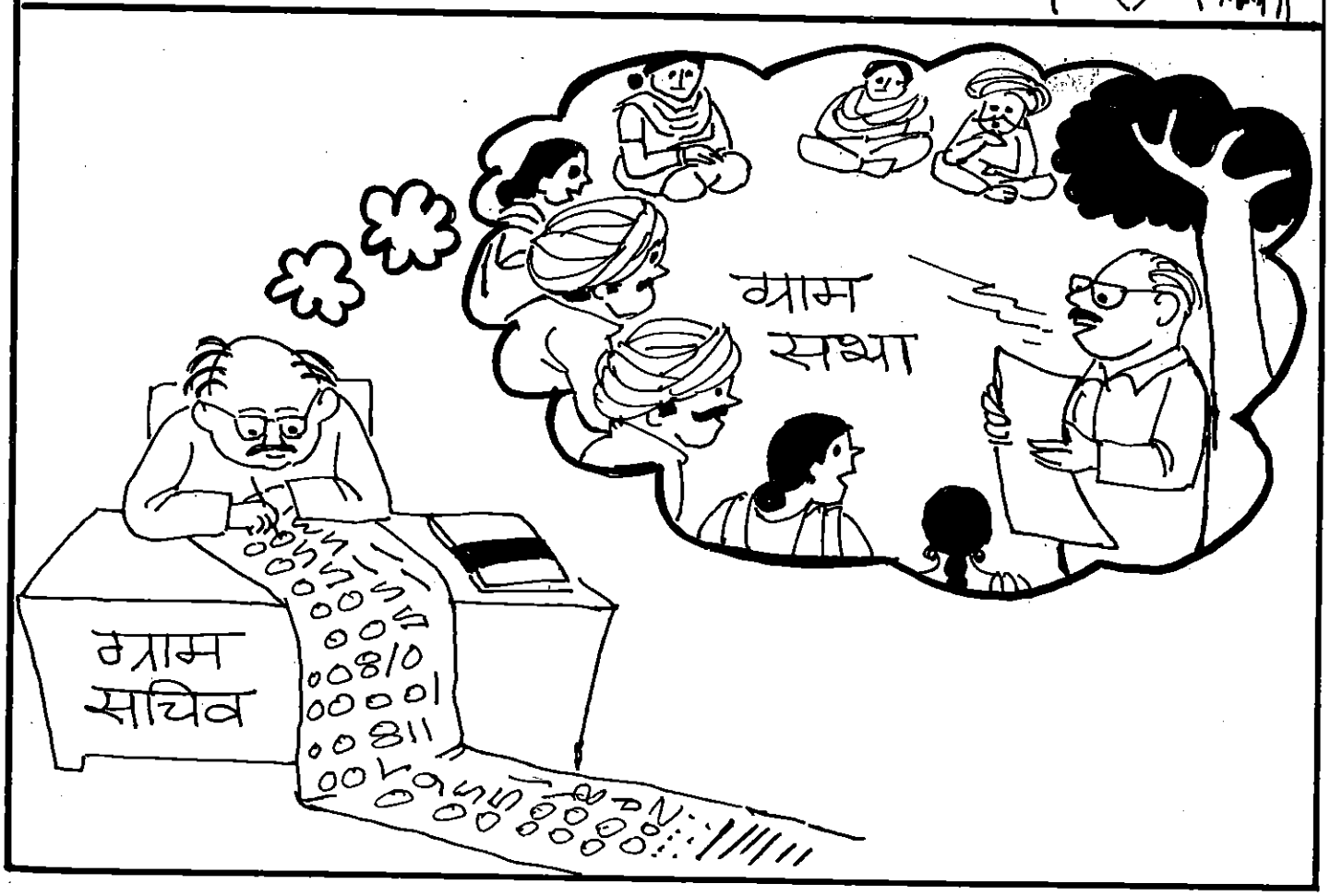

ग्राम पंचायत का विघटन और पुनर्गठन

विघटन

यदि सरकार की राय में

- ❑ कोई ग्राम पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है,
- ❑ अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करती,
- ❑ बार-बार कर्तव्य पालन में गलती करती है,
- ❑ जान-बूझ कर पंचायत समिति, जिला परिषद् के आदेशों की अवहेलना करती है या किसी उच्च अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के ऑडिट निर्देशों या काम के निरीक्षण के बाद दिए गए आदेशों की उपेक्षा करती है तो सरकार ऐसी ग्राम पंचायत को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद, राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा भंग कर सकती है।

ग्राम पंचायत के भंग होने पर

- ❑ सरपंच, उप-सरपंच और सभी पंच अपने पद त्याग देंगे।
- ❑ सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति और व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों और कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।
- ❑ ग्राम पंचायत की सारी सम्पत्ति पर सरकार का स्वामित्व होगा।

पुनर्गठन

- ❑ यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसे समय भंग की जाती है, जब उसका कार्यकाल ६ माह या अधिक का बाकी था, तो सरकार उसके पुनर्गठन के लिए इस ६ माह की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव करवाएगी।
- ❑ लेकिन यदि, उसे ऐसे समय भंग किया गया है, जब उसकी अवधि ६ माह से कम रह गई थी, तब ऐसी ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराना जरूरी नहीं है।